भारतीय रिजर्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2013-14/265
ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46 **सितम्बर 17, 2013**

सेवा में,

प्रथम श्रेणी - के सभी अधिकृत डीलर बैंक
महोदया/महोदय,

इलेक्ट्रॉनिक / इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टलों के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार

प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंकों का ध्यान ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 53 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 और ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 46 दिनांक 17 नवंबर, 2011 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे भारत में बैंकों धारित विभिन्न खातों में क्रेडिट कार्ड/जमा के माध्यम से ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार लेनदेन के लिए जनता द्वारा किए जा रहे मार्जिन भुगतान के संबंध में उचित सावधानी बरतें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें। इसके अलावा, प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंकों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे ऐसे लेन-देनों के संबंध में व्यक्तियों के नाम पर खोले जा रहे खातों अथवा मार्जिन मनी, निवेश धन आदि एकत्र करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में स्वामित्व संबंधी चिंताओं के संबंध में उचित सावधानी बरतें।

2. तथापि, यह देखा गया है कि कुछ बैंकिंग ग्राहक ऐसी योजनाओं की पेशकश करने वाली वेबसाइटों पर विदेशी मुद्रा में ऑनलाइन व्यापार करना जारी रखते हैं, जिसमें वे शुरू में क्रेडिट कार्ड या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उपयोग करके भारतीय बैंक खातों से विदेशी वेबसाइटों/संस्थाओं को निधियां प्रेषित करते हैं और बाद में उन्हीं विदेशी संस्थाओं से क्रेडिट कार्ड या बैंक खातों में नकद रिफंड प्राप्त करते हैं।

3. फेमा, 1999 का उल्लंघन करने वाली ऐसी ऑनलाइन गतिविधियों पर प्रतिबंधों को और मजबूत करने की दृष्टि से, प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंकों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

(i) ऐसे सभी प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंक जो अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें अपने ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए कि यदि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक / इंटरनेट ट्रेडिंग के माध्यम से विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से किसी भी रूप में भारत के बाहर प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान एकत्र और प्रभावित / प्रेषित करता है तो वह 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) मानदंडों/ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होने के अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई किए जाने के लिए खुद को उत्तरदायी बनाएंगे।

(ii) जब भी किसी प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंक को अपने क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी प्रतिबंधित लेनदेन का पता चलता है, तो बैंक चूककर्ता ग्राहक के कार्ड या खाते को तुरंत बंद कर देगा और इस परिपत्र के अनुबंध में दिए गए प्रारूप में इसकी सूचना मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 5वीं मंजिल, अमर बिल्डिंग, पीएम रोड, मुंबई -400001 को देगा ।

4. यदि यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित प्रथम श्रेणी का प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंक ऊपर उल्लिखित उपायों को पूरा करने में विफल रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक फेमा, 1999 की धारा 11 (3) के तहत चूककर्ता बैंक के खिलाफ आवश्यकतानुसार कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

5. प्रथम श्रेणी के प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु पर अपनी घटक संस्थाओं और संबंधित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस परिपत्र में निहित अनुदेशों की ओर कार्ड जारी करने वाली कंपनियों का ध्यान भी आकर्षित किया जा सकता है, जिन्हें ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए भुगतान की अनुमति देने के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह दी जा सकती है।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, के लिए पूर्वाग्रह के बिना हैं।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)

प्रमुख महाप्रबंधक-प्रभारी

संलग्नक

फेमा 1999 के तहत प्रतिबंधित ऑनलाइन लेनदेन की रिपोर्टिंग (1999 का अधिनियम 42)

क्रमांक	*प्रथम श्रेणी का प्राधिकृत डीलर (एडी कैटेगरी-I) बैंक का* नाम	
1	रिपोर्टिंग अधिकारी / अनुपालन प्रमुख, का नाम और पदनाम	
2	रिपोर्टिंग अधिकारी / अनुपालन प्रमुख, के संपर्क विवरण	
ऑनलाइन लेनदेन का विवरण		
3	ग्राहक/ कार्डधारक का नाम	
4	कार्ड / बैंक खाता संख्या	
5	वेबसाइट/ पोर्टल का नाम /URL जहां लेन-देन किए गए थे	
6	बैंक द्वारा पता लगाने की तारीख	
7	डेबिट/क्रेडिट की तिथिवार राशि	
8	कार्ड/बैंक खाता बंद करने की तारीख	

बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा

मैंने उपर्युक्त लेनदेन की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि इसे निषिद्ध किया गया था क्योंकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत इलेक्ट्रॉनिक/ इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टलों के माध्यम से विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए किसी भी रूप में प्रेषण की अनुमति नहीं है।

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान: